

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
आदेश

पदस्थ एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत अनांकित आपूर्ति निरीक्षकों को जिन्हें क्रमशः आदेश ज्ञापक- 5578 दिनांक- 03.11.2017, प्रशासनिक ज्ञापक- 6246 दिनांक- 08.12.2017 से निलम्बन से मुक्त किया गया है को पटना प्रशासनिक मुख्यालय में कंडिका-04 में अंकित योगदान की तिथि से योगदान स्वीकृत करते हुए उनके नाम के सामने कंडिका 5 में अंकित प्रखंड/स्थान/जिला में अगले आदेश तक योगदान किया जाता है।

| क्रमांक | पणन पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक का नाम | गृह जिला | वर्तमान पदस्थापन सचिवालय मुख्यालय में योगदान की तिथि | पदस्थापन का पद एवं स्थान का नाम |
|---------|--|------------|--|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | श्री सुशील प्रताप सिंह, आपूर्ति निरीक्षक | बक्सर | दिनांक- 05.01.2018 | आपूर्ति निरीक्षक, प्रखंड- सिकता, प० चम्पारण |
| 2 | श्री सुजीत कुमार, आपूर्ति निरीक्षक | मुजफ्फरपुर | दिनांक- 13.12.2017 | आपूर्ति निरीक्षक, प्रखंड जोगी, गया |

2. उपर्युक्त आपूर्ति निरीक्षक नव पदस्थापित स्थान पर अविलंब योगदान करना अनिवार्य है।

3. प्रस्ताव पर राक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(गिरत कुमार दुबे)

सरकार के विशेष सचिव।

क्रमांक- 203-अ०-02-01/2017-703

खाद्य, पटना/दिनांक- 09.02.18

प्रति- प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर, पूर्णियां, गमगम प्रमंडल, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, प० चम्पारण, गया, पूर्णियां, प्रमंडलीय आयुक्त, मुजफ्फरपुर/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, प० चम्पारण गया, पूर्णियां सीतामढ़ी एवं मुजफ्फरपुर प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित आपूर्ति निरीक्षकों को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

क्रमांक- 203-अ०-02-01/2017-709

खाद्य, पटना/दिनांक- 09.02.18

प्रति- माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार के आपूर्ति पदाधिकारी, प्रशाखा 08/आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, पटना का सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।